

मंडल कार्यालय आदेश 16/2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य कूनियंत्रक, जोधपुर एवं मेडतारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय :- दोहरी लाइन पर ओटोमेटिक सिगनलिंग व्यवस्था में फेलियर की स्थिति में गाड़ियों का संचालन

सन्दर्भ:- 1.NWR-HQ(OPTG(SnR)/30/2020 date 26.06.24

सभी मुख्य लोको निरीक्षकों को निर्देश दिए जाते हैं कि अपने नामित सभी (स्थायी + अस्थायी) रनिंग स्टाफ को मुख्यालय द्वारा जारी "दोहरी लाइन पर ओटोमेटिक सिगनलिंग व्यवस्था में फेलियर की स्थिति में गाड़ियों का संचालन से सम्बन्धित संयुक्त दिशा निर्देश" को काउंसलिंग करे तथा इसकी पावती लेकर अनुपालना रिपोर्ट 31.07.24 तक मंडल कार्यालय में सलंग्र फॉर्मेट में जमा करे।

क्रम सं.	किये गये कुटप्लेट/इंस्पेक्शन	नामित स्टाफ (स्थायी+अस्थायी) की संख्या	काउंसलिंग किये गये स्टाफ की संख्या	बाकी स्टाफ की संख्या	रिमार्क/कारण

सलंग्र -यथोक्त

प्रतिलिपि – स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु

वर्ष मंडल यांत्रिक इंजी. (Enhm&P)
उ.प.रेलवे, जोधपुर

I/245583/2024

उत्तर पश्चिम रेलवे

प्रधान कार्यालय

जयपुर

दिनांक 26.06.2024

संख्या — NWR-HQ0OPTG(SnR)/30/2020

मंडल रेल प्रबंधक
अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर

विषय— दोहरी लाईन पर ओटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था में फेलीयर की स्थिति में गाड़ियों का संचालन

दोहरी लाईन पर ओटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था में फेलीयर की स्थिति में गाड़ियों का संचालन से संबंधित संयुक्त दिशानिर्देश संलग्नित कर जानकारी एवं अनुरूप कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक — संयुक्त दिशानिर्देश

Digitally Signed by Gopal

Krishna Sharma परिचालन प्रबंधक (संरक्षा व नियम)

Date: 26-06-2024 18:22:59 उत्तर पश्चिम रेलवे

Reason: Approved

प्रति—

प्रमुख मुख्य विद्युत अभियंता / उ.प.रे.

प्रमुख मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता / उ.प.रे.

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी / उ.प.रे.

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक / उ.प.रे.

सचिव/अपर महाप्रबंधक — अपर महाप्रबंधक के सूचनार्थ
सचिव / महाप्रबंधक — महाप्रबंधक महोदय के सूचनार्थ

2211612/2024/O/o Dy. COM/S&R/OPTG/HQ/NWR

दोहरी लाईन पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था में फेलीयर की स्थिति में गाड़ियों का परिचालन

ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था में फेलीयर की स्थिति में गाड़ियों के परिचालन से सम्बन्धित नियमों का सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका में विस्तार से उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में नियम पुस्तिका में उल्लेखित नियमों का फौलड में पालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है। निम्नलिखित बिन्दुओं का उद्देश्य संक्षेप में मार्गदर्शन करना है। इनके अतिरिक्त ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सैक्षण में गाड़ियों के परिचालन से सभी संबंधित नियम, जो कि सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका के अध्याय 9 में वर्णित हैं, का सर्वसंबंधित द्वारा पूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन अपेक्षित है।

1. अर्द्ध स्वचलन रोक (Semi-automatic Stop) सिग्नल के 'ऑन' स्थिति में होने पर कार्यविधि:-

दिशानिर्देश	यदि किसी अर्ध-स्वचलन रोक (स्टॉप) सिग्नल का स्वचलन रोक (स्टॉप) के रूप में प्रयालन किया जाता है, (अर्थात् A मार्कर जल रहा है)	यदि अर्ध-स्वचलन रोक (स्टॉप) सिग्नल का हस्तचालित रोक (Manual Stop Signal) सिग्नल के रूप में प्रयालन किया जाता है (अर्थात् A मार्कर बुझा हुआ है)	यदि लोको पायलट को, अर्ध-स्वचलन रोक (स्टॉप) सिग्नल, 'ऑन' स्थिति में पास करने के लिए उनके नीचे लगे (कालिंग ऑन) सिग्नल को 'ऑफ' करके प्राधिकृत किया जाता है
की जाने वाली कार्यवाही	नियम 9.02 (दोहरी लाईन) लागू होगा।	अध्याय तीन के खड़ 'ज' (Chapter III, Section 'H') में वर्णित सम्बन्धित नियमों का पालन किया जायेगा।	नियम 9.02 (दोहरी लाईन) में उल्लेखित सावधानियों का पालन किया जायेगा। जब लोको पायलट अर्ध स्वचल सिग्नल को रोक सिग्नल के नीचे लगे बुलावा सिग्नल के प्राधिकार पर पार करता है तो वह सामान्य नियम 3.79 में दिये गये अनुदेशों का भी पालन करेगा।
प्राधिकार पत्र	—	टी 369(1) / टी 369-(3बी), जैसी भी स्थिति हो।	—
गति प्रतिबंध	लोको पायलेट दृष्टता साफ होने पर 15 किमीप्रघं एवं दृष्टता साफ नहीं होने पर 10 किमीप्रघं की गति से अगले रोक सिग्नल तक पहुँचेगा तथा उसके पश्चात् अगले रोक सिग्नल द्वारा दिये जा रहे संकेत का अनुसरण करेगा।	संबंधित सिग्नल को पास करने की गति 15 किमीप्रघं से अधिक नहीं होगी।	लोको पायलेट दृष्टता साफ होने पर 15 किमीप्रघं एवं दृष्टता साफ नहीं होने पर 10 किमीप्रघं की गति से अगले रोक सिग्नल तक पहुँचेगा तथा उसके पश्चात् अगले रोक सिग्नल द्वारा दिये जा रहे संकेत का अनुसरण करेगा। साथ ही लोको पायलेट सतर्कता से आगे बढ़ेगा एवं अवरोध से पहले रुकने के लिये तैयार रहेगा।

मुख्य संकेत अधिकारी

मुख्य विद्युत लोको अधिकारी

मुख्य यातायात योजना प्रबंधक


2211612/2024/O/o Dy. COM/S&R/OPTG/HQ/NWR

2. स्वचालित सिगनल व्यवस्था बिगड़ जाने पर कार्यविधि:-

दिशानिर्देश	जब खण्ड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था को निलंबित नहीं किया गया है	जब खण्ड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था को एस एण्ड टी विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा निर्धारित संचार साधनों की सहायता से संचार व्यवस्था चालू है	जब खण्ड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था को एस एण्ड टी विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया है तथा निर्धारित संचार साधनों की सहायता से संचार व्यवस्था चालू नहीं है
प्रथम गाड़ी के लिये की जाने वाली कार्यवाही	दोहरी लाइन पर सामान्य एवं सहायक नियम संख्या 9.02 के अनुसार लोको पायलेट संबंधित खराब सिग्नल पर दिन में 1 मिनट एवं रात में 2 मिनट रुकेगा लोको पायलेट, संबंधित खराब सिग्नल को औन अवस्था में पार कर, दृष्ट्यात साफ होने पर 15 किमीप्रधं एवं दृष्ट्यात साफ नहीं होने पर 10 किमीप्रधं की गति से अगले रोक सिग्नल तक पहुँचेगा तथा उसके पश्चात् अगले रोक सिग्नल द्वारा दिये जा रहे संकेत का अनुसरण करेगा।	<p>संबंधित संकेत एवं दूरसंचार विभाग के सक्षम कर्मचारी, जो कि एसएसई/जेई से नीचे के स्तर का नहीं होगा, द्वारा परिचालन विभाग को इस आशय की लिखित सूचना दी जायेगी।</p> <p>स्टेशन मास्टर पूरे खण्ड को एक मानकर अगले स्टेशन के स्टेशन मास्टर से निर्धारित संचार साधनों के माध्यम से प्रत्येक भेजी जाने वाली गाड़ी के लिए लाइन विलयर पूछेगा। अगले स्टेशन का स्टेशन मास्टर तब तक लाइन विलयर नहीं देगा जब तक कि (i) अन्तिम अग्रगामी गाड़ी पूरी न पहुँच जाये।</p> <p>(ii) अनेवाली गाड़ियों को जिस लाइन पर लेना है वह लाइन प्लेटफार्म प्रस्थान सिग्नल से या उस स्थान से जहाँ पर सामान्यतः गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, के आगे कम से कम 180 मीटर तक साफ न हो, और</p> <p>(iii) कथित लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए सभी कांटे सही न लगा दिये गये हों और समुख कांटों को तालित (लॉक) न कर दिया गया हो।</p>	<p>संबंधित संकेत एवं दूरसंचार विभाग के सक्षम कर्मचारी, जो कि एसएसई/जेई से नीचे के स्तर का नहीं होगा, द्वारा परिचालन विभाग को इस आशय की लिखित सूचना दी जायेगी।</p> <p>दो ब्लॉक स्टेशनों के बीच के सेक्षन को एक ब्लॉक सेक्षन समझा जायेगा तथा ऐसी स्थिति में किसी गाड़ी को स्टेशन से चलने की अनुमति देने से पहले, उसको रोका जायेगा और स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी के लोको पायलेट और ट्रेन मैनेजर को परिस्थितियों की सूचना दी जायेगी।</p>



मुख्य संकेत अभियंता



मुख्य विधुत लोको अभियंता



मुख्य यातायात योजना प्रबंधक

प्राधिकार पत्र	-	T/D 912 (इस फार्म पर अगले स्टेशन से लाईन विलयर की एवज में प्राप्त निजी अंक का उल्लेख करना है)	T/B 912 (गाड़ी को बिना लाईन विलयर लिये खण्ड में भेजने का प्राधिकार पत्र
गति प्रतिबंध	लोको पायलट दृश्यता साफ होने पर 15 किमीप्रघं एवं दृश्यता साफ नहीं होने पर 10 किमीप्रघं की गति से अगले रोक सिग्नल तक पहुँचेगा तथा उसके पश्चात् अगले रोक सिग्नल द्वारा दिये जा रहे संकेत का अनुसरण करेगा।	ऐसी स्थिति में भेजी जाने वाली प्रथम गाड़ी के लोको पायलट सावधानीपूर्वक समपार फाटकों का बन्द होना सुनिश्चित करते हुए 25 किमीप्रघं की गति से खण्ड में लागू अन्य गति प्रतिबन्धों का पालन करते हुए आगे बढ़ेंगे तथा बाहर यह अवश्य देखते रहेंगे कि कहीं कोई संभावित अवरोध तो नहीं है।	T/A 912 जिसमें लोको पायलट/मोटरमैन को दो स्टेशनों के बीच स्वचालित सिग्नल पर करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। सतर्कता आदेश— जिसमें गति सीधी लाइन पर, जहाँ सामने की दृश्यता साफ हो, 25 कि.मी.प्र.घं. तक और लाइन के ऐसे भाग पर पहुँचते समय या ऐसे स्थान से गुजरते समय जहाँ मोड़, अवरोध, वर्षा, कोहरा या किसी अन्य कारण से सामने का दृश्य साफ न हो वहाँ 8 कि.मी.प्र.घं. तक प्रतिबन्धित हो बशर्ते अन्य गति प्रतिबन्ध जो लागू हों का भी पालन करें और समुख कांटों पर गति 15 कि.मी.प्र.घं. तक सीमित हो। सीधी लाइन पर, जहाँ सामने की दृश्यता साफ हो, 25 कि.मी.प्र.घं. तक और लाइन के ऐसे भाग पर पहुँचते समय या ऐसे स्थान से गुजरते समय जहाँ मोड़, अवरोध, वर्षा, कोहरा या किसी अन्य कारण से सामने का दृश्य साफ न हो वहाँ 8 कि.मी.प्र.घं. तक प्रतिबन्धित हो बशर्ते अन्य गति प्रतिबन्ध जो लागू हों का भी पालन करें और समुख कांटों पर गति 15 कि.मी.प्र.घं. तक सीमित हो।
अगली गाड़ी के संबंध में कार्यवाही	सभी गाड़ियों के लिये उपरोक्तानुसार समान कार्यवाही	T/D 912 जारी किया जायेगा। पहली गाड़ी बाद की सभी गाड़ियों के लोको पायलट सावधानीपूर्वक समपार फाटकों का बन्द होना सुनिश्चित करते हुए, खण्ड में लागू गति प्रतिबन्धों का पालन करते हुए सामान्य गति से आगे बढ़ेंगे तथा बाहर यह अवश्य देखते रहेंगे कि कहीं कोई संभावित अवरोध तो नहीं है।	किसी भी गाड़ी को प्रभावित सेक्शन में तब तक प्रविष्ट नहीं होने दिया जायेगा जब तक कि छूटने वाली गाड़ी और जो गाड़ी इससे पहले गई है उसके बीच स्पष्ट रूप से 15 मिनट का अन्तर न हो।

उपरोक्त विन्दुओं का उद्देश्य संक्षेप में मार्गदर्शन करना है। इनके अतिरिक्त औटोमेटिक सिग्नलिंग सेक्शन में गाड़ियों के परिचालन से सभी संबंधित नियम, जो कि सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका के अध्याय 9 में वर्णित हैं, का सर्वसंबंधित द्वारा पूर्ण अध्ययन एवं अक्षरण अनुपालन अपेक्षित है।

(संख्या: NWR-HQ0OPTG(SnR)30/2020 दिनांक 23.06.2024)

मुख्य संकेत अधिकारी

मुख्य विधुत लोक अधिकारी
23/06/24

मुख्य यातायात योजना प्रबंधक